प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक-10.09.2025

◆थाना औराई अन्तर्गत ग्राम उगापुर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार

◆कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

◆चोरी की मोटरसाइकिल बिक्री करने के फिराक में था आरोपी

दिनांक-14.05.2025 को थाना औराई पर वादी द्वारा ग्राम उगापुर सूर्य कारपेट के सामने से उनकी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में सूचना दिया गया। थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-268/2025 धारा-303(2) भा.न्या.सं. का अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जनपद में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के दृष्टिगत चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण व पंजीकृत अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश के क्रम में श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.09.25 को उ0नि0/विवेचक श्री विजय कुमार सरोज मय हमराह हे0का0 कमलेश सिंह यादव देखभाल क्षेत्र उगापुर नहर पुलिया चौराहा पर शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मौजूद थें कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0स0 268/25 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी की गयी मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति सवार होकर स्वयं चलाते हुये भरत पुर के तरफ से नहर सड़क पटरी से उगापुर की तरफ आ रहा है। अगर जल्दी किया जाये तो वह चोरी के वाहन सहित पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर अभियोग के वादी मुकदमा के मो0 न0 9793126576 पर मो0सा0 पहचान करने के उद्देश्य से सूचित करते हुए उगापुर आने-जाने वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि लगाकर उपरोक्त वाहन व चालक का इन्तजार करने लगे कि कुछ देर पश्चात एक मो0सा0 सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसके तरफ मुखबीर ने इशारा कर बताया गया। पुलिस द्वारा एकाएक उसके सामने आकर वाहन रोकने का इशारा किये तो वह गाड़ी वही गिराकर मो0सा0 से उतर कर तेजी से पीछे मुडकर भागना चाहा कि वही करीब 10-12 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया पकड़े हुये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब जिस मो0सा0 से मय आ रहा था जो गिरी पड़ी है। वह मो0सा0 मैने दिनांक 14.05.2025 की रात में सूर्या कारपेट उगापुर के सामने से चोरी किये थे। पुलिस से बचने के लिये भागते समय रास्ते मे नहर किनारे एक जगह यह मो0सा0 रोककर मो0सा0 का नम्बर प्लेट पीछे का तोड़कर बहते हुये नहर के पानी मे फेंक दिये थे। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम आशीष वर्मा पुत्र दीपक कुमार सेठ निवासी रामरायपुर थाना भदोही जनपद भदोही उम्र लगभग 20 वर्ष बताया। अभियुक्त यह कार्य अन्तर्गत धारा 303(2),317(2) बीएनएस का दण्डनीय अपराध पाकर अपराध से बोध कराते हुए समय 5.20 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण करते हुए पंजीकृत अभियोग में धारा-317(2) बी.एन.एस की बढ़ोत्तरी करते हुए विधिक कार्यवाही की गई। अभियुक्त के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता की जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता

आशीष वर्मा पुत्र दीपक कुमार सेठ निवासी रामरायपुर थाना भदोही जनपद भदोही उम्र लगभग 20 वर्ष

बरामदगी-

चोरी की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 विजय कुमार सरोज, हे0का0 कमलेश सिंह यादव थाना औराई जनपद भदोही